

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 127 : ¹[Functions] of the Authority

²[The authority shall discharge the following functions, namely:-]

- (i) to determine whether any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (ii) to identify the registered person who has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (iii) to order,
 - (a) reduction in prices;
 - (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen percent from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;
 - (c) imposition of penalty as prescribed under the Act; and
 - (d) cancellation of registration under the Act.
- ³(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth ⁴[day] of the close of each quarter.]

1 Substituted for "Duties" by Noti. No. 24/2022-Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022.

2 Substituted "It shall be the duty of the Authority,-" by Noti. No. 24/2022-Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022.

3 Clause (iv) inserted by Noti. No. 34/2017-Central Tax, dt. 15-09-2017 w.e.f. 15-09-2017.

4 Inserted by Noti. No. 14/2018-Central Tax, dt. 23-03-2018 w.e.f. 23-03-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 127 : प्राधिकरण के ¹[कृत्य]

- (i) प्राधिकरण का ²[कृत्य] होगा कि यह अवधारित करें कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तकर्ता को पहुंच रहे हैं;
- (ii) प्राधिकरण का [कृत्य] होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;
- (iii) प्राधिकरण का यह [कृत्य] होगा कि—
- (क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दें;
- (ख) प्राधिकरण का यह [कृत्य] होगा कि वह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अटारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा।
- (ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और
- (घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना।
- ³(iv) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद् को एक कार्य निष्पादित रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा शब्द "कर्तव्य" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022)
- 2 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा शब्द "कर्तव्य" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022)
- 3 अधिसूचना क्रमांक 34/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा उपनियम (4) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.09.2017)।